एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामा
मुकदमा नं0 04/2022

1–हेतराम पुत्र रेवती जाति जाट निवासी ग्राम नौनेरा तहसील कामा जिला भरतपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामा (भरतपुर) राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 29.03.2023

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थी का जन्म से नाम हेतराम है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम हेतराम पुत्र रेवती ही दर्ज है लेकिन दिनांक 26.6.2007 को प्रार्थी के भाई पुरूषोत्तम ने प्रार्थी को साथ लेकर आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 2395/0.26, 2396/0.09 वाके ग्राम नौनेरा द्वितीय का रजिस्ट्रर्ड बयनामा ओमप्रकाश से अपने हक में तस्दीक कराया था । तभी के भाई ने व विक्रेता ओमप्रकाश ने प्रार्थी का नाम बयनामा में सहवन भूल से हितेन्द्र दर्ज करा दिया था । जबकि प्रार्थी का सही नाम हेतराम है । बयनामा हो जाने के बाद दाखिल खारिज में भी प्रार्थी का नाम हितेन्द्र दर्ज हो गया जो कि कतई गलत है । जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर कुठारघात हो रहा है । इस कारण प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में हुए अपने गलत नाम के इन्द्राज को कलमजन कराकर सही नाम हेतराम दर्ज करा पाने का अधिकारी है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार कामां ने अपने पत्रांक/एल.आर./2022/2822 दिनांक 13.12.2022 द्वारा जबाव पेश किया कि पटवारी हल्का नौनेरा II ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जांच के आधार पर आधार कार्ड, राशनकार्ड 10वी अंकतालिका व अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम हेतराम है व गांव में भी हेतराम के नाम से जाना जाता है । पटवार मण्डल नौनेरा II में भी खाता सं0 476 पर हेतराम पुत्र रेवती जाति जाट दर्ज रिकार्ड है । हेतराम सव हितेन्द्र एक ही व्यक्ति है । क्योंकि हितेन्द्र का नाम कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं है । इसलिए हितेन्द्र के स्थान पर हेतराम शुद्ध किया जाना उचित है ।
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2074–77,आधार कार्ड अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, राशन कार्ड सलग्न किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण में बहस प्रार्थीयान की सुनी गयी । तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया । जांच के आधार पर आधार कार्ड, राशनकार्ड 10वी अंकतालिका व अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम हेतराम है व गांव में भी हेतराम के नाम से जाना जाता है । पटवार मण्डल नौनेरा II में भी खाता सं0 476 पर हेतराम पुत्र रेवती जाति जाट दर्ज रिकार्ड है । हेतराम सव हितेन्द्र एक ही व्यक्ति है । क्योंकि हितेन्द्र का नाम कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं है । इसलिए हितेन्द्र के स्थान पर हेतराम शुद्ध किया जाना उचित है ।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में आराजी खसरा नम्बर 2395/0.26, 2396/2/0.09 वाके ग्राम नौनेरा II का रजिस्टर्ड बयनामा ओमप्रकाश से अपने हक में तस्दीक कराया था । प्रार्थी के भाई ने व विक्रेता ओमप्रकाश ने प्रार्थी का नाम बयनामा में सहवन से हितेन्द्र दर्ज करा दिया था । जबकि प्रार्थी का सही नाम हेतराम है । बयनामा हो जाने के बाद दाखिल खारिज में भी प्रार्थी का नाम हितेन्द्र दर्ज हो गया । प्रार्थी का नाम बयनामा में हेतराम के स्थान पर हितेन्द्र हो गया । तथा दाखिल खारिज भी बयनामा के आधार पर खोला गया है । जो सही जिसमें कोई गलती नहीं की है । प्रार्थी का जमाबन्दी व रिकार्ड में गलत नहीं हुआ है । जो कि अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम की शुद्धि की श्रेणी मे नहीं आता है । जिसे अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत शुद्धि किया जाना उचित नहीं है ।

अतः आदेश है कि अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है । प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)